स्वतंत्रता-सेनानियों को आवास का आवंटन

2664. **श्रीमती कैलाशपति** : क्या **शहरी विकास** मंत्री 28-2-1992 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 687 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जो वास्तव में स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं और जो उन्हें आवंटित फ्लैटों में रह रहे हैं तथा ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें उक्त फ्लैटों का आवंटन किया गया है तथा जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं हैं ;

(ख) उत्तर प्रदेश के उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम क्या हैं जिन्हें इन फ्लैटों का आवंटन किया गया है, उनमें से कितने व्यक्ति जीवित हैं और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है परन्तु उनके रिश्तेदार इन फ्लैटों में रह रहे हैं ;

(ग) उत्तर प्रदेश के उन स्वतंत्रता सेनानियों के नाम क्या हैं जिन्होंने चिकित्सीय आधार पर इन फ्लैटों के आवंटन के लिये अनुरोध किया है और जिनके पास दिल्ली में रहने के लिए कोई जगह नहीं है ; और

(घ) उन्हें फ्लैट का आवंटन कब तक कर दिये जाने की सम्भावना है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : (क) स्वतन्त्रता सैनानियों के लिए न तो कोई उद्दिष्ट फ्लैट हैं और न ही उनके लिए कोई निर्धारित कोटा है। इस श्रेणी के व्यक्तियों को प्रत्येक मामले की जांच करने के पश्चात् निर्धारित शर्तों पर फ्लैट आवंटित किए जाते हैं । इस समय स्वतन्त्रता सैनानियों को 56 फ्लैट आवंटित किए हुए हैं।

(ख) से (घ) स्वतन्त्रता सैनानियों को वास आवंटित करते समय निर्धारित मार्ग-निर्देशनों का अनुपालन किया जाता है । आवंटन क्षेत्रीय/राज्य आधार पर नहीं होता है इसलिए राज्यवार कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है ।

Programmes to alleviate urban poverty

2665. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government are monitoring the implementation of the (i) the Nehru Rozgar Yojana, (ii) the Urban Basis Services for the poor, and (iii) the Environmental Improvement of Urban Slums; and

(b) if so, the latest position regarding the implementation of each of the above programmes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) Yes, Sir.

(b) The Nehru Rozgar Yojana seeks to upgrade the skills of urban poor beneficiaries and to provide them with opportunities for both self employment and wage employment. The Yojana consists of three schemes the Scheme of Urban Micro Enterprises (SUME), the Scheme of Wage Employment (SUME) and the Scheme of Housing and Shelter Upgradation (SHASU). According to reports available from the States|UTs, about 47,500 beneficiaries have been trained are undergoing training for skill upgradation and about Rs. 49.13 crores of subsidy has been sanctioned for setting up micro enterprises under SUME; an expenditure of Rs. 109.32 crores has been incurred on construction of public assets and 195 lakh mandays of work has been generated for the urban poor under SUWE; and Central subsidy amounting to Rs. 10.37 crores and loan from HUDCO amounting to Rs. 37.12 crores have been released for upgrading the dwelling units of identified beneficiaries. The scheme of Urban Basic Services for the Poor (UBSP) aims at the convergent provision of social services such as mother and child health care, I

school learning, non formal education and assistance to the disadvantaged alongwith physical amenities to be provided under the scheme of Environmental Improvement of Urban Slums (EIUS) through the formation of community groups. As per the reports available from the States/UTs, an expenditure of about Rs. 7.30 crores has been incurred on provision of such facilities under UBSP. The State Sector scheme of Environmental Improvement of Urban Slums seeks to provide basic physical amenities such as low cost water supply, drainage, sewerage community baths and latrines, paving and widening of streets and street lighting in identified slums. Since the beginning of the 7th Plan upto September 1991, about 125 lakh slum dwellers have been benefitted under the EIUS scheme.

दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को आवासीय मकान

2666. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यह निर्णय किया गया है कि दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को आवासीय मकान का आवंटन नहीं किया जावेगा, यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया था और इसके क्या कारण हैं ; और

(ख) क्या यह निर्णय किसी अन्य विभाग के कर्मचारियों पर भी लागू होगा यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को पूर्ण रूप से वारित करने का कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है, केवल दिल्ली प्रशासन के अन्तर्गत विभिन्न स्कूलों में कार्य कर रहे शिक्षकों/कर्मचारियों जिन्हें कभी भी सामान्य पूल से आवास आवंटन के लिए पात्र कार्यालयों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया था, को अब विशेष रूप से दिसम्बर 1991 में वारित कर दिया गया है ।

छापेखाने

2667. **श्रीमती सत्या बहिन :** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन कितने छापेखाने हैं और उनमें "क" "ख" "ग" और "घ" श्रेणियों के कितने कर्मचारी/अधिकारी कार्यरत हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि दिसम्बर, 1984 तक जो रिक्तियां हुई थीं उन्हें भर्ती पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध न होने के बावजूद अब तक नहीं भरा गया है ; और

(ग) सरकार को इस के कारण औद्योगिक उत्पादन में हुई हानि का ब्यौरा क्या है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) इस मंत्रालय के अधीन कलकत्ता में एक फार्म भण्डार और बाह्य मुद्रण शाखा के अलावा 20 मुद्रणालय हैं ।

1-3-91 की स्थिति के अनुसार इन सभी मुद्रणालयों/शाखाओं में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है :—

श्रेणी	कार्यरत व्यक्ति
"क"	42
"ख"	133
"ग"	10389
"घ"	2223

(ख) जनवरी, 1984 में जारी किए गए सरकार के आदेशों के अनुसार तथा परिणाम-स्वरूप जिन पदों के लिये भर्ती कार्यवाही शुरू कर दी गई थी, के सिवाय आयोजना तथा आयोजना-भिन्न मौजूदा रिक्तियों तथा प्रचालन और गैर-प्रचलन पदों को भरा नहीं जाना था ।